ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-5* August- 2021
Anthology : The Research

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के प्रावधानों का औचित्य (अनुसूचित जाति के संदर्भ में)

Justification of the Provisions of the Indian Constitution in the Present Context (With Reference to Scheduled Castes)

Paper Submission: 10/08/2021, Date of Acceptance: 23/08/2021, Date of Publication: 24/08/2021

आनंद कुमार भारतीय
अतिथि व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय गर्ल्स कस्तूरबा कॉलेज, गुना, म.प्र., भारत

सारांश

डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलितों की वेदना से ओत प्रोत थे। इस वेदना के निवारण के लिए उन्होंने देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। जिसका लाभ राजनीतिक क्षेत्र में इन वर्गों को दिलाकर अपनी शिक्षा की सार्थकता को प्रमाणित किया है। उन्होंने अस्प्रश्यता का समूल विनाश किया, सभी को समानता, स्वतंत्रता व समान न्याय प्राप्त करने की विधि प्रदान की। वे अपने विचारों से सभी को सहमत करते हुए आगे बढे। उनके द्वारा निर्मित संविधान में किसी वर्ग, संप्रदाय अथवा धर्म के प्रति कोई अन्याय का प्रावधान नहीं रखा गया।

यह उनके ही परिश्रम का फल है कि देश के दलित, शोषित अपनी वंचनाओं से मुक्त होकर राष्ट्रपति के सम्मानीय पद से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य बनकर वंचितों का प्रतिनिधित्व कर सके है। अनेक कार्यपालिक, न्यायपालिक अधिकारी एवं डॉक्टर, इंजीनियर बनकर राष्ट्र की सेवा में संलग्न है।

Dr. Bhimrao Ambedkar was deeply engrossed in the anguish of Dalits. To get rid of this pain, he had received higher education in the country and abroad. Whose benefit has proved the significance of their education by providing these classes in the political field. He completely destroyed untouchability, provided the method of achieving equality, freedom and equal justice to all. He went ahead agreeing everyone with his views. There was no provision of any injustice towards any class, sect or religion in the constitution made by him.

It is the result of his hard work that the Dalits and exploited of the country have been free from their deprivations and have been able to represent the underprivileged from the honorable post of President to Chief Minister, Minister, Secretary, Member of Lok Sabha and Vidhan Sabha. Many executive, judicial officers and doctors are engaged in the service of the nation by becoming engineers.

मुख्य शब्द - भारतीय संविधान, परिप्रेरक्ष्य जाति, अस्प्रश्यता, समताा, भ्रातृत्व इत्यादि।

Keywords: Indian Constitution, Perspective Caste, Untouchability, Equality, Fraternity etc.

प्रस्तावना

ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है, इसे देश की सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि कहा जा सकता है। यही वह दस्तावेज है, जो राज्य के समस्त अंगों (विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका) को शक्तियाँ प्रदान करता है। इन तीनों संस्थाओं को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कत्तव्यों का निर्वहन करना होता है। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है।

यह मौलिक विधियों तथा आधारभूत राजनीतिक सिद्धांतों का एक आलेख होता है जिस पर किसी देश का शासन आधारित होता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों की व्याख्या करता है तथा सरकार और नागरिकों के संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। वस्तुतः यह सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करने अथवा सरकार द्वारा सत्ता के दुरूपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है। उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान उन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निष्चित करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के प्रावधानों का औचित्य सामाजिक समरसता, आर्थिक व सामाजिक समानता, कानूनी अधिकार प्रदान करने का जो मुख्य ध्येय संविधान में है उसे अनुसूचित जाति के हितों में लागू करना शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

साहित्यवलोकन

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार प्रस्तुत करती है। यह संविधान का दर्पण है जिसमें पूरे संविधान की एक झलक दिखाई पड़ती है। इसकी उपयोगिता यह है कि यह हमें संविधान के स्रोत, राजव्यवस्था की प्रकृति एवं संविधान के उद्देश्यों से परिचय कराती है। जिससे हम एक स्वतंत्र राष्ट्र को उनकी प्रकृति के अनुसार नियमित, संगठित, अग्रसरित और सुरक्षित कर सकें। इसके साथ ही यह संविधान के अर्थ निर्धारण एवं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी उपयोगी है।

संसार में सम्मान के साथ जीना सीखें। आपको हमेषा यह तलक होनी चाहिए कि दुनियाँ को कुछ करके दिखायें। जो निरंतर प्रयास करते है वही सफल होते हैं। कुछ लोग सोचते है कि वे इस दुनियां में तरक्की नहीं कर सकते, यह गलत धारणा है। याद रखें, वह जमाना गया जब लोग स्वयं को असहाय महसूस करते थे। नया जमाना आ गया है। अब सब संभव है, क्योंकि आप देश की राजनीति और विधायिकाओं में शामिल हो सकते है।

संविधान की रचना में आरक्षण का महत्व - भारत के संविधान की रचना में दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन लगे। इस अवधि में बाबा साहेब का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा किन्तु वे निरंतर अपने दायित्व को राष्ट्र के सम्मान में पूर्ण करने में लगे रहे। बाबा साहेब ने जब यह देखा कि कोई भी उनके प्रस्ताव के पक्ष नहीं है, तब उन्होंने कहा- अगर पतित और पिछड़े समाज की भलाई के लिए सुरक्षित स्थान न रखे गए और इसे संविधान का भाग न बनाया गया तो में संविधान सभा से वाकआउट करूंगा ताकि आने वाले इतिहास के पन्नों में यह लिखा रहेगा कि जब भी अछुतों की भलाई का प्रष्न आया तभी हिन्दुओं ने किस प्रकार उसका विरोध किया। 1

पूना पैक्ट में बाबा साहेब ने चार के पैनल बनाये जाने और आत्मनिर्णय की बात के स्थान पर जनसंख्या के अनुपात से सुरक्षित स्थानों को माना। आरक्षित व अनारक्षित सीटों के लिए दोनों ही अपना मत दे सकेंगे। उक्त समय लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार यह तय हुआ कि सामान्य सीटों पर यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलेंगे तो उक्त सीट आरक्षित की सीट बन जाएगी। दूसरी आरक्षित सीट के स्थान पर दूसरे आरक्षित वर्ग की उम्मीदरवार का चुना समझा जायेगा। [2]

26 नवम्बर 1949 को केन्द्रीय हाल में दोनों सदनों के सदस्यों की ऐतिहासिक बैठक हुई। इसी में संविधान को 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से लागू करने का निर्णय किया गया। उस दिन इस संविधान सभा के अधिवेषन में सभापति राजेन्द्र प्रसाद जी थे। इस अधिवेषन में बाबा साहेब के महान कार्य की सभा ने स्तुति की। संविधान पर बाबा साहेब का उद्बोधन राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक प्रवचन था इसे हम उनके आंतरिक भावों के संक्षिप्त सार के रूप में देख सकते है।

मूलभूत सिद्धांत यह है कि अभिज्ञेय समूहों का कम प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया और इसीलिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही। संविधान ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की रिक्त सीटों तथा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में

अजा और अजजा के लिए 15 प्रतिशत और 7.5 का आरक्षण था जो बाद में अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण शुरू किया गया। 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता, सर्वाच्च न्यायालय के इस फैसले से आरक्षण की अधिकतम सीमा तय हो गयी। हालांकि राज्य कानूनो ने इसे 50 प्रतिशत की सीमा को पार लिया है और सर्वोच्च न्यायालय में इन पर मुकदमें चल रहे हैं।

संविधान के गुणों के संबंध में कहा- इसमें जो कुछ कहा गया है, वह सब कुछ वर्तमान संतानों की भावनायें हैं। अगर यह कहने में अत्युक्ति न हो, तो यह कहा जायेगा कि इसमें जो कुछ भी है, वह सब सदस्यों के विचार ही है। संविधान का अच्छा होना और बुरा होना उन पर निर्भर है, जो चरितार्थ करेंगे।

संविधान में स्वतंत्रता, समता, न्याय और भ्रातृत्व को स्थान दिया गया है। यह हमारे जीवन पथ के मुख्य सिद्धांत हैं। भारत में आज तक सामाजिक आर्थिक असमानता का बोलबाला रहा है। अब हम लोग 26 जनवरी 1950 के दिन सारे भारत में राजनीतिक समानता की स्थापना कर रहे हैं। इसके बाद सामाजिक और आर्थिक असमानता कायम रहेगी। तो सर्वत्र अषांति छा जायेगी। इस विरोधाभास को शीघ्र ही दूर करना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो जो इस अयोग्यता के षिकार है, वे राजनीतिक जनतंत्र को नष्ट कर देंगे। इस बात को सभी जानते हैं कि इस राजनीतिक जनतंत्र की स्थापना के लिए न केवल सारे सदन ने बल्कि सारे ही देशवासियों ने अथक और महान प्रयत्न किये है।[3]

संविधान की दृष्टि से सभी नागरिक समान है परंतु हिन्दू धर्म में समानांतर वर्ण और जाति लिखित में और व्यवहार में यथावत है। हिन्दू नागरिक मात्र हिन्दू आज भी नहीं है। हिन्दू यदि पिता या माता के नाम से जोड़कर जाना जा सकता है पंरतु असमानता सूचक ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैष्य, शूद्र जैसे शब्द आज भी व्यवहार में और चलन में है। चाहे ज्योतिषी के द्वारा नामकरण हो, थाने की रिपोर्ट हो, समाचार पत्र में समाचार हों- सभी में जाति, वर्ण जो शास्त्र सम्मत ऊँच-नीच के संबोधन-सूचक शब्द है, उनके प्रयोग किये जा रहे है। इनको रोकने के लिए ऐसे नियम आवश्यक है जिनसे अनेक कुरीतियों को, जो हिन्दू समाज में थीं, अंगेजों के समय में रोका और नियंत्रित किया गया था।[4]

भारतीय संविधान में अछूत जातियों और आदिम जातियों की एक सूची बनाई जो अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से जानी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं एंग्लों इंडियन लोगों के हितों की ओर ध्यान देने तथा उनके हितों की रक्षा हेतु संविधान में बात कही गई है।

अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, मंदिरों में प्रवेश, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, मुफ्त कानूनी सहायता, छात्रवृत्ति, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आयोग का गठन आदि सम्मिलित है।[5]

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलितों की वेदना से ओत प्रोत थे। इस वेदना के निवारण के लिए उन्होंने देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। जिसका लाभ राजनीतिक क्षेत्र में इन वर्गों को दिलाकर अपनी शिक्षा की सार्थकता को प्रमाणित किया है। उन्होंने अस्प्रश्यता का समूल विनाश किया, सभी को समानता, स्वतंत्रता व समान न्याय प्राप्त करने की विधि प्रदान की। वे अपने विचारों से सभी को सहमत करते हुए आगे बढ़े। उनके द्वारा निर्मित संविधान में किसी वर्ग, संप्रदाय अथवा धर्म के प्रति कोई अन्याय का प्रावधान नहीं रखा गया।

यह उनके ही परिश्रम का फल है कि देश के दलित, शोषित अपनी वंचनाओं से मुक्त होकर राष्ट्रपति के सम्मानीय पद से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य बनकर वंचितों का प्रतिनिधित्व कर सके है। अनेक कार्यपालिक, न्यायपालिक अधिकारी एवं डॉक्टर, इंजीनियर बनकर राष्ट्र की सेवा में संलग्न है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ; संपूर्ण अम्बेडकर वाड्.मय अम्बेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।*
2. *शास्त्री, शंकरानंद ; पूना पैक्ट बनाम गांधीजी, बहुजन कल्याण प्रकाशन, सआदतगंज, लखनऊ-3*
3. *मूर्ति, एस.एस. ; सामाजिक दर्शन, कल्चरल, पब्लिशर्स अमीनाबाद, लखनऊ*
4. *शर्मा, डॉ. गोविंद प्रसाद ; भारतीय राजनीतिक चिंतन, मध्यप्रदेश हिंदी प्रकाशन अकादमी भोपाल,*
5. *खरे, डॉ. एन.बी. ; माई पॉलिटिकल मेमोयर्स एण्ड बायोग्राफी प्रकाशन जे.आर. जोषी बुटीवाड़ा नागपुर।*
6. *मूर्ति, एस.एस. ; सामाजिक दर्शन, कल्चरल, पब्लिशर्स अमीनाबाद, लखनऊ*